Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 26-07-2005

Participants : Mahabir Prasad Shri

>

Title: Presentation of 152nd Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2004-2005) pertaining to Ministry of Agro and Rural Industries.(Laid)

12.10 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the

152nd Report of the Standing Committee on Industry

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

* मैंने, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर तथा लोक सभा बुलेटिन भाग-II दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के प्रावधानों के अनुपालन में, उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 152वीं रिपोर्ट में सुझाई गयी सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांग (2004-05) की 152वीं रिपोर्ट में 31 सिफारिशें/प्रेक्षण हैं। ये दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों, मंत्रालय की स्कीमों/नीतियों के क्रियान्वयन, सिक्किम (समेत) पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं/ स्कीमों के प्रावधान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित मामले, वैश वीकरण/उदारीकरण का कृषि एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र पर प्रभाव तथा इस क्षेत्र से संबंधित ऋण संबंधी मामलों की तुलना में रोजगार सृजन के लिए कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के कार्यनिपादन से संबंधित हैं। कुछ सिफारिशें वितत, विपणन, मानव संसाधन विकास, शोध और विकास, रूग्ण खादी संस्थानों का पुनरूत्थान, विपणन बिक्री केन्द्रों के न वीनीकरण/आधुनिकीकरण, पारम्परिक उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुनर्सृजन आदि में अधिक व्यवसायीकरण (प्रोफेशनलिज्म) लाते हुए खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को एक दिशा में अधिक से अधिक प्रवाहमान बनाने तथा मजबूत करने जैसे क्षेत्रों से भी संबंधित है।

3 (i) प्रत्येक सिफारिश/प्रेक्षण से संबंधित कृत कार्यवाई के ब्यौरे देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पणियां को समिति के सचिवालय में 24.03.2005 को प्रस्तुत किया गया है।

(ii) मंत्रालय की दृटि से, 17 सिफारिशों/प्रेक्षणों के संबंध में कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। शेा 14 सिफारिशों/प्रेक्षणों के संबंध में, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए, कार्र वाई की जा रही है।

---

* Laid on the Table of the House.

(Placed in Library. See No. LT 2344/05)

(iii) विशेाकर, खादी और ग्रामोद्योग के पुनरूत्थान के संबंध में राट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गयी घोाणा के अनुसार, के वीआइसी अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए एक विधेयक शीघ्र ही लाया जाना अपेक्षित है।

(iv) इसके अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके पारम्परिक उद्योगों (जैसे खादी, कयर और अन्य ग्रामोद्योग) के पुनर्सृजन के लिए एक स्कीम का मसौदा तैयार होने के अंतिम चरण में है। योजना आयोग ने इस स्कीम को, जिसका क्रियान्वयन 2005-06 से आरंभ होना संभावित है, के संबंध में अपना 'सिद्धान्त रूप में' अनुमोदन प्रेाति कर दिया है।